न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, तृतीय, पूर्णियॉ।

मोटर दुर्घटना दावा वाद संख्या 63 / 2008

सी.आई.एस. संख्या–834 / 2013

1. धीरज कुमार साह,
2. गुंजा कुमारी, दोनों पिता स्व0–जगेश्वर प्रसाद साह
   सभी साकिनान ढोलबज्जा पो0–फारबिसगंज, थाना फारबिसगंज, जिला अररिया
   वर्तमान पता–गोपाल कृष्णन, वार्ड 14, श्रीनगर हाता(बच्चा जेल के नजदीक) थाना के.हाट जिला पूर्णियॉ. ..... **आवेदकगण**

बनाम

1. सरदार सोहन सिह पिता स्व0 दिलावारा सिंह
   भटठा बाजार, थाना के0 हाट, जिला पूर्णियॉ (बस निबंधन संख्या–डब्ल्यू बी–73ए–9177 के स्वामी)
2. मो0 इजाज अहमद पिता–स्व0 मो0 सादिक,
   साकिन–कामरान, थाना दलसिंहसराय, जिला–समस्तीपुर,
3. ओरियंटल इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड डिविजन नं0–1, कलकत्ता–71
   शाखा– आरएनसाह चौक न्यू मार्केट, थाना–के0 हाट, जिला पूर्णियॉ
4. मो0 ओसिम पिता स्व–फरीद,
   सा0–खरिया, वार्ड नं0–9 थाना+जिला–अररिया
   (टेम्पू निबंधन संख्या– बीआर–38बी–0884 के स्वामी)
5. मो0 मन्सूर आलम, पिता–शेख फख्रूद्दीन
   सा0–कुशहा, थाना रानीगंज, जिला–अररिया
   (टेम्पू निबंधन संख्या– बीआर–38बी–0884 के चालक)
6. बजाज एलियांस जेनेरल इंश्यूरेश कंपनी लिमिटेड निबंधन कार्यालय जीई प्लाजा, हवाई अडडा रोड, वर्सू पूणे–411006
   वर्तमान पता–ब्रांच ऑफिस मेन रोड रॉची निबंधन वाहन संख्या–बीआर – 38बी–0884 .....**विपक्षीगण।**

आवेदकगण की ओर से – श्री कौशल किशोर सिंह, अधिवक्ता।
विपक्षी सं– 1 की ओर से –श्री भूवन कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता।
विपक्षी सं– 2 की ओर से– अनुपस्थित।
विपक्षी सं– 3 की ओर से – श्री मुकुंदो दास, .अधिवक्ता।
विपक्षी सं– 4 की ओर – मो0 खुर्शीद रब्बानी, अधिवक्ता।
विपक्षी सं– 5 की ओर – अनुपस्थित।
विपक्षी सं– 6 की ओर – श्री सोमनाथ चक्रवर्ती अधिवक्ता।

पूर्णियॉ, दिनांक 23 वीं अप्रैल, 2026 ई0।

वर्तमान– ठाकुर अमन कुमार
अपर जिला न्यायाधीश, तृतीय
सह पीठासीन पदाधिकारी,
मोटर वाहन दुर्धटना दावा न्यायाधिकरण
पूर्णियॉ।

निर्णय

1. प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा वाद संख्या 63/2008 मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत मृतक जगेश्वर प्रसाद साह पिता–स्व0–अनुपलाल साह निवासी ढोलबज्जा पो0–फारबिसगंज, थाना फारबिसगंज, जिला अररिया की मोटर दुर्धटना में हुई मृत्यु के लिए मो0 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार) रूपया दिलाये जाने के लिए दाखिल किया गया है।

2. आवेदकगण की अनुपस्थिति के कारण श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पूर्णियॉ के द्वारा दिनांक 04.07.2019 को उक्त दावा वाद को खारिज किया गया था जिसे आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक विविध वाद संख्या–30/13 द्वारा दिनांक 01.04.2023 को न्यायालय में दाखिल कर प्रार्थना किया गया कि उक्त निस्पादित दावा वाद को पुनः पुनर्जीवित किया जाय जिसके पश्चात श्री श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पूर्णियॉ द्वारा दिनांक 05.03.2025 को उक्त निस्पादित दावा वाद संख्या–63/2008 को पुनर्जीवित किया गया।

3. आवेदन के अनुसार संक्षेप में आवेदकगण का अभिवचन है कि दिनांक 04.03.2008 को 4.15 बजे शाम धीरज कुमार साह मृतक जगेश्वर प्रसाद साह के साथ मटियानी अररिया टेम्पू निबंधन संख्या– BR38B/0884 से जब मानिकपुर के नजदीक पहुंचा उसी समय एतियाना बस निबंधन सं. WB73A/9177 का चालक उसे तेजी और लापरवाही से चलाते हुये आ रहा था और उपेक्षापूर्ण ढंग से टेम्पू को धक्का मार दिया जिससे घटनास्थल पर 6 लोगों की मृत्यु हो गयी। चिकित्सक मृत्यु का कारण बहुत सारे जख्म के कारण मृतक की मृत्यु घटनास्थल पर ही होना बताया जाता है। सूचना पर के0 हाट थाना वहां पर पहॅुचा और शव को अंत्यपरीक्षण के लिये प्रेषित किया, अंत्यपरीक्षण के बाद मृतक का शव उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया जिन्होंने हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया। मृतक एक 62 वर्षीय स्वस्थ्य, परिश्रमी, वृद्ध व्यक्ति था और वह किसान था जिसकी मासिक आय 5000/–पांच हजार रूपया था। परिवार के सभी सदस्य उसकी आय पर निर्भर थे। वह एकमात्र परिवार की कमाने वाला सदस्य था। मृतक की मृत्यु से आवेदकगण के परिवार को अपूर्णीय क्षति हुई है। अतः आवेदकगण को क्षतिपूर्ति की राशि मो0 2,50,000/–रूपया मयव्याज के साथ दिलाया जाय।

4. प्रस्तुत वाद में विपक्षी संख्या–1 सरदार सोहन सिंह बस वाहन स्वामी निबंधन सं. WB73A/9177 उपस्थित होकर अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल किया और कहा है कि आवेदकगण का आवेदन पोषणीय नहीं है। याचिकाकर्ता के पास इस विपक्षी दल के खिलाफ कोई कानूनी कारवाई का आधार नहीं है और इनका दावा गलत है। विपक्षी द्वारा यह दावा किया गया है कि वाहन दिनांक 24.07.2007 से दिनांक 23.07.2008 तक पॉलिसी सं. 1180/08 तक ओरियेंटल इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड से बिमित था जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इंश्युरेंस कंपनी के नियम और शर्त के अनुसार विपक्षी किसी भी प्रकार से मुआवजे के लिये उत्तरदायी नहीं है और इस दुर्घटना से संबंधित सभी प्रकार के जोखिम कंपनी के अंतर्गत आते है। उपर्युक्त वाहन चलने और यात्रा करने के लिये पूरी तरह से उपयुक्त और वाहन चालक वाहन चलाने में पूरी तरह सक्षम था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था और गाडी की गति भी सीमा के भीतर थी। आटो निबंधन सं. BR11E/0884 के लापरवाही के कारण यह दुर्घटना घटी है। आवेदकगण मृतक के मासिक आय के संबंध में कोई भी कागज दाखिल नहीं किया है इसलिये मुआवजे की राशि राष्ट्रीय आय या एकमुश्त राशि के आधार पर की जायेगी। आवेदकगण को दुर्घटना का दिन, समय, स्थान साबित करना होगा। इस मामले में दो वाहनों बस निबंधन सं. WB73A/9177 और टेम्पू निबंधन संख्या– BR38B/0884 के बीच टक्कर हुई थी और टेम्पु के लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई थी। यदि मुआवजे की जिम्मेदारी बनती है तो दोनों वाहनों को समान रूप से देनी होगी।

5. प्रस्तुत वाद में विपक्षी संख्या–3 ओरियेंटल इंश्युरेंस कंपनी लि. की ओर से उपस्थित होकर अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल किया और कहा है कि संबंधित वाहन चालक के पास दुर्घटना तिथि को वाहन चलाने वैध ड्राईविंग लाइसेंस नहीं था और दावेदारों की ओर से इस मामले में प्रस्तुत ड्राईविंग लाइसेंस की छायाप्रति फर्जी है जोकि विपक्षी ओरियेंटल इंश्युरेंस कंपनी लि. के जांचकर्ता द्वारा जिला न्यायालय डीटीओ सहरसा में की गई जांच से स्पष्ट हुआ। इस विपक्षी के जांचकर्ता ने दिनांक 24.08.12 को जिला आयुक्त सहरसा के समक्ष सूचना हेतु एक आवेदन दिया था कि क्या चालक एजाज अहमद को उक्त जिला आयुक्त सहरसा द्वारा ड्राईविंग लाइसेंस सं. 1130/92 एसएचए, प्रोफेशनल विधिवत जारी किया गया था। उचित जांच के बाद जिला आयुक्त सहरसा के लाइसेंस प्राधिकरण ने एक प्रमाण पत्र जारी किया कि उक्त कार्यालय से ऐसा कोई ड्राईविंग लाइसेंस कभी जारी नहीं किया गया था और वह लाइसेंस फर्जी है इसलिये विपक्षी सं. 3 दावेदार को कोई मुआवजा देने के लिये उत्तरदायी नहीं है क्योंकि यह बात संबंधित वाहन स्वामी को ज्ञात थी। उक्त वाहन के मालिक एवं चालक एक दूसरे के साथ मिलीभगत कर रहे है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि ड्राईविंग लाइसेंस सं. 1130/92 एसएचए, प्रोफेशनल अशोक कुमार विश्वास सुपौल को दिनांक 19.12.92 को जारी किया गया था। उन्हें केवल मोटरसाइकिल चलाने के लिये अधिकृत किया गया था और उक्त लाइसेंस दिनांक 19.12.92 से 18.12.97 तक की वैधता था।

6. प्रस्तुत वाद में विपक्षी संख्या–6 बजाज एलियांस जेनरल इंश्युरेंस कंपनी की ओर से उपस्थित होकर अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल किया और कहा है कि आवेदकगण की ओर से लगाये गये सभी आरोप झूठे है और यह याचिका तथ्यों और कानून के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्ध स्वीकार नहीं है। याचिका को समय सीमा के भीतर खारीज किया जाना चाहिये। प्रतिवादी ने याचिका में लगाये गये सभी आरोपों को स्वीकार नहीं किया है और उसका खंडन किया है तथा याचिकाकर्ता को उन आरोपों को छोडकर बाकी सभी आरोपो का बाकी सभी आरोपों का पुख्ता सबूत पेश करना होगा।

7. अभिलेख पर वाद बिन्दु उपलब्ध नहीं है जिसके कारण आज न्यायहित में निम्नलिखित वाद बिन्दु पुर्नरचित किये जा रहे है–

1. क्या प्रस्तुत दावा वाद पोषणीय है ?
2. क्या दुर्घटना टेम्पु या बस की लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई?
3. क्या दावेदारों को राहत पाने का अधिकार है?
4. क्या दावेदारों को कौन कौन सा दावा प्राप्त करने का अधिकार है?
5. आवेदकगण की ओर से अपने अभिवचन के समर्थन में कुल तीन मौखिक साक्षियों को प्रस्तुत किया है, जिनके नाम व क्रम संख्या इस प्रकार है–

आवेदक साक्षी संख्या–1 रिंकी देवी
आवेदक साक्षी संख्या–2 धीरज कुमार साह
आवेदक साक्षी संख्या–3 नवीन कुमार

मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया गया है।

प्रदर्श–1 मृतक जगेश्वर साह का मृत्यु प्रमाण पत्र
प्रदर्श–2 आरोप पत्र की छायाप्रति
प्रदर्श–3 बस चालक का ड्राईविंग लाइसेंस
प्रदर्श–4 Owner book की छायाप्रति
प्रदर्श–5 बस के रोड परमिट की छायाप्रति
प्रदर्श–6 प्राथमिकी की अभिप्रमाणित प्रति
प्रदर्श–7 बीमा पॉलिसी की छायाप्रति
प्रदर्श–8 मृतक का अंत्यपरीक्षण

8. विपक्षी संख्या–2 की ओर से अपने अभिवचन के समर्थन में ना तो कोई मौखिक साक्ष्य और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

मन्तव्य

9. **विवादक संख्या–1 एवं 2**

इस वाद का सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि क्या मृतक जगेश्वर साह की मृत्यु दिनांक 04.03.2008 को 4.15 बजे शाम मटियानी अररिया टेम्पू निबंधन संख्या–BR38B/0884 से जब मानिकपुर के नजदीक पहुंचा उसी समय एतियाना बस निबंधन सं. WB73A/9177 से दुर्घटना में हुई है, जो कि तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए दुघ र्टना कारित किया। अतः इस विवादक का विवेचना सर्वप्रथम किया जा रहा है। आवेदकगण ने अपने आवेदन में कहा है कि दिनांक 04.03.2008 को 4.15 बजे शाम धीरज कुमार साह मृतक जगेश्वर प्रसाद साह के साथ मटियानी अररिया टेम्पू निबंधन संख्या–BR38B/0884 से जब मानिकपुर के नजदीक पहुंचा उसी समय एतियाना बस निबंधन सं. WB73A/9177 का चालक उसे तेजी और लापरवाही से चलाते हुये आ रहा था और उपेक्षापूर्ण ढंग से टेम्पू को धक्का मार दिया जिससे घटनास्थल पर 6 लोगों की मृत्यु हो गयी। चिकित्सक मृत्यु का कारण बहुत सारे जख्म के कारण मृतक की मृत्यु घटनास्थल पर ही होना बताया जाता है। सूचना पर के0 हाट थाना वहां पर पहुॅचा और शव को अंत्यपरीक्षण के लिये प्रेषित किया, अंत्यपरीक्षण के बाद मृतक का शव उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आवेदक सं0 1 के द्वारा एतियाना बस निबंधन सं. WB73A/9177 प्राथमिकी दर्ज किया गया है एवं आरोप पत्र सं0 341/2008 दिनांक 23.07.2008 समर्पित किया गया है, जिसे प्रदर्श–पी2 अंकित किया गया है। आवेदक की ओर से उपस्थित मौखिक साक्षियों में साक्षी संख्या 1 रिंकी देवी जो मृतक की पुतोहु है ने कहा है कि यह क्लेम केस धीरज कुमार साह ने किया है जो मेरा भैसुर है। दुर्घटना दिनांक 04.03.08 शाम 4.15 बजे की है। दुर्घटना के समय मैं भी टेम्पू में थी। हमलोग आठ आदमी ढोलबज्जा से मटियारी टेम्पु में सवार होकर जा रही थी। विपरीत दिशा से आ रही एतियाना बस टकरा गया। हमलोग टेम्पु सहित सड़क किनारे फेका गये। छः आदमी की मृत्यु हो गयी उसमें जगेश्वर साह भी दुर्घटना में मर गये। एक मैं और मेरा भैंसुर घायल होकर बच गये। हमलोग को वहां के लोगों ने उठाकर अस्पताल पहुॅचाया था।

साक्षी सं–2 धीरज कुमार साह जो मृतक का पुत्र/क्लेमेंट है, इन्होनें ने भी घटना का पूर्ण रुप से समर्थन किया है और इन्होनें अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं फारबिसगंज सिमराहा थानाकांड सं. 112/2008 का सूचक हूॅ। मैं दिनांक 04.03.2008 को दिन में 2 बजे अपने माता पिता, भाई, रिंकी देवी, प्रमोद कुमार साह, सुलोचना देवी एवं सुमन कुमारी सभी एकसाथ टेम्पु पर सवार होकर मटियारी जा रहे थे। हमलोगों का टेम्पु समय 2.30 बजे दिन को मानिकपुर पक्की सडक पहुंचा तो अररिया की ओर से एतियाना कंपनी का बस काफी तेजी व लापरवाही के साथ बस चालक चलाते हुये आया और टेम्पू में धक्का मारा। टेम्पू 2–3 बार पलटी खा गया। बस चालक धक्का मारकर तेजी से फारबिसगंज की ओर चलाकर भागा। घटना में मेरे अलावे एक रिंकी देवी जख्मी होकर बचे क्योंकि सभी सवार की मृत्यु हो गयी थी। मैं इस मुकदमा में पोस्टमार्टम की छायाप्रति,

ऑनर बुक, रोड परमिट तथा अन्य आवश्यक कागजात दाखिल किया हूँ जिसे प्रदर्श अंकित किया जाय। मैं अपने तरफ एवं छोटी बहन गुंजा कुमारी की तरफ से क्लेम केस नं. 63/08 दाखिल करवाया हूँ और अपने बहन गुंजा की तरफ से साक्ष्य दे रहा हूँ। मेरे पिताजी जगेश्वर प्रसाद साह की उम्र 62 साल थी जो खेती से 5000/–प्रतिमाह व व्यवसाय करके प्रतिमाह 5000/–रूपया कमाते थे जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और वे अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ व्यक्ति थे। मेरे पिताजी काफी कर्मठ एवं परिश्रमी व्यक्ति थे। उनके दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो जाने के कारण मेरे परिवार में रोजी रोटी कमाने के लायक कोई नहीं रहा। मेरे पिताजी के दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण मैने मात्र 200000/– दो लाख रूपये मुआवजे का दावा किया था। मेरे दावा की राशि उचित व्याज के साथ दिलवाने की प्रार्थना करता हूँ तथा मेरा दावा सही है। विपक्षी सं0 3 के द्वारा किये गयें प्रतिपरीक्षण में साक्षी सं0 2 ने कहा है कि दुर्घटना के समय मृतक जगेश्वर प्रसाद साह टेम्पु भाड़े पर करके फारबिसगंज से मटियारी जा रहा था टेम्पु जब मानिकपुर चौक पर पहुंची तो अररिया की आर से एक एतियाना की बस आ रही थी और टेम्पु में साईड से ठोकर मारते हुए निकल गयी, उक्त टेम्पु तीन चार पलटी खायी और मेरे पिता कुल 10000/– रूपया कमाते थे, कोर्ट फीस नहीं दे सका क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी, मेरे पिताजी खेती और सब्जी की दुकानदारी से 10000/– रूपया कमाते थे।

साक्षी सं–3 नवीन कुमार जो स्वतंत्र साक्षी है ने कहा है कि मैं धीरज साह एवं उनकी बहन गुंजा कुमारी को जानता हूँ। धीरज कुमार साह ढोलबज्जा फारबिसगंज, जिला अररिया का निवासी है। मोटर दुर्घटना में धीरज कुमार साह के पिता जागेश्वर साह, माता सुलोचना देवी सहित कई लोगों की मृत्यु हो गयी थी। जगेश्वर साह एक कृषक के साथ साथ अच्छे व्यवसायी भी थे। दिहात/गांव में उनका साग सब्जी का बडा दुकान था। जगेश्वर साह अपने परिवार का भरण पोषण इसी कमाई से किया करते थे। केवल व्यवसाय से जगेश्वर साह लगभग 200–300 रूपये प्रतिदिन कमाते थे। विपक्षी सं0 2 के द्वारा किये गयें प्रतिपरीक्षण में साक्षी सं0 3 ने कहा है कि मृतक जगेश्वर साह का साग सब्जी का दुकान है, अपनी रोज मर्रा की साग सब्जी उन्हीं के दुकान से खदीदने जाते थे।

तीनों साक्षियों के द्वारा किये गयें परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि घटना के दिन मृतक एक टेम्पू से सवार होकर फारबिसगंज से मटियारी जा रहे थे और मानिकपुर चौक पर पहुँचे तो अररिया की ओर से एक ऐतियाना की बस तेजी एवं लापरवाही से आ रही थी, जिस कारण दुर्घटना कारित हुआ है दुर्घटनास्थल पर ही मृतक की मृत्यु हो गयी। उपरोक्त तीनों साक्षियों ने यह भी कहा है कि मृतक मजदूरी/खेती एवं सब्जी दुकान से प्रतिमाह कुल 10000/– की कमायी करके अपना गृहस्थी चलाते थे।

अपने समर्थन में दस्तावेज में मृतक जगेश्वर साह का मृत्यु प्रमाण पत्र अभिलेख पर संलग्न किया गया है जिसे प्रदर्श पी1 अंकित किया गया है। उपरोक्त क्लेम केस में धीरज कुमार साह एवं गुंजा कुमारी का क्षतिपूर्ति का दावा सही है। उक्त दाखिल प्रदर्शो में प्रदर्श 1, 2 एवं 8 से यह स्थापित होता है कि दिनांक 04.03.2008 को बस सं. WB73A/9177 द्वारा दुर्घटना कारित की गयी थी जिससे आवेदक सं. 1 एवं 2 के पिता जगेश्वर प्रसाद

साह की मृत्यु हो गयी तदनुसार यह विवादक आवेदकगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

10. **विवादक संख्या–3**

इस वाद का अब महत्वपूर्ण वाद बिन्दु यह है कि क्या दावेदारों को राहत पाने का अधिकार है?

आवेदकगण ने अपने आवेदन में कहा है कि मृतक जगेश्वर साह की उम्र 62 वर्ष थी जो कि साक्षी सं. 1 एवं 2 के साक्ष्य के दौरान कहा गया है और मृतक के मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है, मृतक की मृत्यु ब्रेन हेमरेज और सर के फूटने के कारण हुई है बताया गया है। (According to the postmortem report which was exhibited -P8, the cause of death was due to hemorrhage and shock, and the age of deceased mentioned in the postmortem report is 65 years) साक्षियों ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि जगेश्वर साह एक कृषक के साथ साथ अच्छे व्यवसायी भी थे एवं दिहात/गांव में उनका साग सब्जी का बडा दुकान था। जगेश्वर साह अपने परिवार का भरण पोषण इसी कमाई से किया करते थे। केवल व्यवसाय से जगेश्वर साह लगभग 200–300 रूपये प्रतिदिन कमाते थे और मृतक की मासिक आय 5000/–रूपये थी। साक्ष्य के दौरान साक्षी सं. 1 एवं 2 ने कहा है कि मृतक अपने परिवार में अकेला कमाने वाला सदस्य था। दुर्घटना के दिन एतियाना बस निबंधन सं. WB73A/9177 दिनांक 24.07.2007 से 22.07.2008 तक ओरियंटल इन्सूरेन्स कम्पनी द्वारा पॉलिसी नं0 1618/2007 से 1180/2008 तक बीमित थी जिसे प्रदर्श–पी07 अंकित किया गया है।

Similarly in National Insurance Company Limited v. Swaran Singh & Ors., (2004) 3 SCC 297, it was held as under:-"It is trite that where the insurers, relying upon the provisions of violation of law by the assured, take an exception to pay the assured or a third party, they must prove a willful violation of the law by the assured. In some cases violation of criminal law, particularly, violation of the provisions of the Motor Vehicles Act may result in absolving the insurers but, the same may not necessarily hold good in the case of a third party. In any event, the exception applies only to acts done intentionally or "so recklessly as to denote that the assured did not care what the consequences of his act might be".

तदनुसार यह विवादक आवेदकगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

11. विवादक संख्या–4

क्या दावेदारों को कौन कौन सा दावा प्राप्त करने का अधिकार है?

चुकि मृत्यु बस निबंधन सं. WB73A/9177 की तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाने के कारण हुई है इसलिये दावेदार न्याय, मुआवजे और व्याज के हकदार है जो कि 4,10,028/– रूपये व्याज सहित अभिवेदन की तिथि से भुगतान होने तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रदान करे तथा बीमा कंपनी को भुगतान व वसूली सिद्धांत के तहत

पहले अभिवेदन राशि का भुगतान करने का निर्देश दे तथा न्यायहित में उचित समझे जाने वाले अन्य राहत भी प्रदान करे। तदनुसार यह विवादक आवेदकगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

As held by Hon'ble Apex Court in National Insurance Co. Ltd. V. Pranav Sethi, 25% increase in income for the age group of below 65 years in case of fixed unskilled labour as future prospects is added and thereby calculating it Rs. 92 X 26 X 40/100 = 2392 .

इस वाद की घटना दिनांक 04.03.2008 की है, उक्त तिथि को बिहार सरकार द्वारा घोषित नियम के अनुसार अकुशल श्रमिक की प्रतिदिन की आय मो0 **92**/–रूपये थी। इस प्रकार मृतक की मासिक आय 92 x 26 = 2392/– रूपये होगी। तदनुसार उक्त विवादक निष्तारित किया जाता है। *So, as per the direction of the Apex Court Sarla Verma V. Delhi Transport Corporation (2009)6 SCC 121.*

computation

Component	Calculation
Monthly Income	2392
Add 25% future prospects	2392+598=2990
Deduct 1/3 rd	2990-996=1994
Annual income	23928.00 (1994x12=23928)
Multiplier (Age)65	5 multiplier of annual income =119640
Conventional heads	
Loss of estate	15000/-
Funeral	15000/-
Parental consortium	80000/-(40000x2 claimants)
Total	**110000**
Sum Total	**119640+1,10,000/- =2,29,640/-**

Total compensation Rs. 2,29,640 – 50,000 **Total = 1,79,640/-**

उपरोक्त विवेचन से यह साबित होता है कि आवेदकगण ने जिस प्रकार अपना आवेदन विरचित किया है वह पोषणीय है और आवेदकगण को प्रस्तुत दावा वाद दाखिल करने का वैध वाद हेतुक और कारण प्राप्त है और आवेदकगण अपने आवेदन में वर्णित अनुतोष को उपरोक्त विवेचन के आलोक में पाने के हकदार है। तदनुसार, विवादक संख्या 1 से 4 तक आवेदकगण के पक्ष में निर्णीत किये जाते है। अतः

आदेश

प्रस्तुत दावा वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या–3 ओरियेंटल इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड को यह आदेश दिया जाता है कि इस निर्णय की तिथि से तीस दिनों के भीतर आवेदकगण को क्षतिपूर्ति के रूप में मो0 **1,79,640/– (एक लाख उन्नासी हजार छः सौ चालीस) रूपये** और याचिका प्रस्तुत करने अर्थात् दिनांक 04.03.2008 से वास्तविक अदायगी की तिथि तक छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से जिसमें 50–50 प्रतिशत की धनराशि आवेदकगण संख्या–1 एवं 2 जो मृतक के बच्चे हैं, को देय होगी और यदि विपक्षी संख्या–3, तीस दिनों के भीतर धनराशि अदा नहीं करते तब साधारण ब्याज छः प्रतिशत के स्थान पर नौ प्रतिशत देय होगी।

दिनांक–23वीं अप्रैल सन् 2026

लेखापित

ह0/–

(ठाकुर अमन कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश, तृतीय
सह पीठासीन पदाधिकारी,
मोटर वाहन दुर्धटना दावा न्यायाधिकरण
पूर्णियॉ।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

दिनांक :– **23वीं अपैल सन् 2026**

ह0/–

(ठाकुर अमन कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश, तृतीय
सह पीठासीन पदाधिकारी,
मोटर वाहन दुर्धटना दावा न्यायाधिकरण
पूर्णियॉ।